प्रारुप–एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक ...97... /भू–अर्जन/2019 बिलासपुर दिनांक 23/8/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन औद्योगिक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :–

जिला	तहसील	ग्राम नगर	क्षेत्रफल (हे.में)	लोक प्रयोजन का विवरण
बिलासपुर	बिल्हा	मोहभट्ठा	5.066	औद्योगिक प्रयोजन (रेलवे साईडिंग)

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 11/09/19 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम–पंचायत मोहभट्ठा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

(एक) – लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण – औद्योगिक प्रयोजन (रेलवे साईडिंग) निर्माण

(दो) – प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों की संख्या – 16

(तीन) – अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों की संख्या – निरंक

(चार) – प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या – 01 पक्का मकान

(पांच) – प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या – 31

(छः) – क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? – हां

(सात) – क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? – हां

(आठ) – परियोजना की कुल लागत – 10.00 करोड़

(नौ) – परियोजना से होने वाला लाभ – औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार से 500 व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होगा।

(दस) – प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा इस पर होने वाला संभावित व्यय – परियोजना का लोगों के समाजिक जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेन की संभावना नहीं है।

(ग्यारह) – परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक – निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(डॉ. संजय अलंग)
कलेक्टर
बिलासपुर, छत्तीसगढ़